



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 67/2019

GST Circular No. 20/2019

No. 2017/AC-II/1/11/GST References

9th August, 2019

General Managers,
All Zonal Railways/Production Units.

Sub :- Statutory provisions relating to Kerala Flood Cess.

Government of Kerala vide notification No. 2711/Leg.A2/2019/Law. Dated 19th July, 2019 has notified that The Kerala Finance Act, 2019 (Act 5 of 2019) has been passed by the Kerala State Legislative Assembly and received assent of the Governor on 19th July, 2019. As per clause 14 of the Act, Kerala Flood Cess shall be levied as per following rate:-

S.No	Description of goods or services or both (relevant for Indian Railways)	Rate of cess on the Taxable Value (Excluding GST)
1.	Supplies of goods or services for which GST rate is fixed at 5% (CGST + SGST)	Nil
2.	Supplies of goods or services for which GST rate is fixed at 12%, 18%, 28% (CGST + SGST)	1%

Effective date of implementation of Cess is w.e.f. 1.8.2019 and will be applicable for **Intra-State Supply done in the State of Kerala to unregistered persons.**

(V.Prakash)
Joint Director /Accounts
Railway Board

Copy to :-

1. PFAs All Zonal Railways/PU
2. All EDs of ED level Empowered Committee in Railway Board
3. All Directors of GST Cell, Railway Board
4. MD, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. GM/Finance and GSTM, CRIS, NDLS

भारत सरकार /Government of India
रेल मंत्रालय/ Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)Railway Board

आरबीए सं. 67/2019
जीएसटी परिपत्र सं.20/2019

सं.2017/एसी-II/01/11/जीएसटी रेफरेन्सेज

नई दिल्ली, दिनांक: 09-08-2019

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: - केरल बाढ़ उपकर से संबंधित सांविधिक प्रावधान।

केरल सरकार के दिनांक 19.07.2019 की अधिसूचना संख्या 2711/लेजि.ए2/2019/लॉ के तहत अधिसूचित किया गया है कि केरल वित्त अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम 5) को केरल राज्य विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और दिनांक 19.05.2019 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो गई है। अधिनियम के खंड 14 के अनुसार, केरल बाढ़ उपकर निम्नलिखित दर के अनुसार लगाया जाएगा:-

क्र.सं.	वस्तुओं या सेवाओं या दोनों (भारतीय रेल से संबंधित) का विवरण	कर योग्य मूल्य पर उपकर की दर (जीएसटी रहित)
1.	वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति जिनके लिए जीएसटी दर 5% निर्धारित की गई है (सीजीएसटी+एसजीएसटी)	नील
2.	वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जिनके लिए जीएसटी दर 12%, 18%, 28% निर्धारित की गई है (सीजीएसटी+एसजीएसटी)	1%

उपकर के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख 1.8.2019 है और केरल राज्य में अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लागू होगा।

ह.

(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :

- 1 प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
- 2 रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक
- 3 रेलवे बोर्ड के जीएसटी सेल के सभी निदेशक
- 4 महाप्रबंधक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 5 महाप्रबंधक/वित्त और जीएसटीएम, क्रिस, नई दिल्ली